COURT OF SRI BASANT KUMAR, EXL.SPL.JUDGE.EXCISE.COURT -1, SAMASTIPUR
A.B.P.NO.-1399/26
ROHIT KUMAR V/S STATE OF BIHAR.

31-07-2026 वाद का बार–बार पुकार कराया गया। वाद के पुकार पर आवेदक /अभियुक्त की तरफ से न्यायालय में कोई भी उपस्थिति नहीं हुए। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि यह अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक/ अभियुक्त रोहित कुमार की तरफ से दिनांक 23.05.2026 को धारा– 482 बी.एन.एस.एस.–2023 के अन्तर्गत लाया गया है। जो दलसिंहसराय थाना कांड संख्या–521/2025 अन्तर्गत धारा–30 (ए),41(1) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम से संबंधित है।

वाद का बार–बार पुकार कराया गया। वाद के बार–बार पुकार पर एवं अनेक अवसर देने के बाबजूद आवेदक/ अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता अनुपस्थित हैं। जबकि पिछली तिथि को उनको अंतिम अवसर भी दिया गया। आज भी उनकी अनुपस्थित है। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक/ अभियुक्त को अब अपने वाद में कोई अभिरुची नहीं रह गई है। अतः उक्त अग्रिम जमानत आवेदन को अदम पैरवी में **खारिज** किया जाता है। कार्यालय लिपिक नियमानुसार अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें। ले0

वि0न्या0उत्पाद–01